

17-2-09 वसुदेव फरीकेन उपाध्येत/ इर आराजी
से संबन्धित एक दावा उनवानी सुगन वनाम
सावल्या इश न्यायालय में विचाराधीन है।
वहस दरख्वास्त सुनी जाकर मनन किया
गया। विपक्षीगण जो भी उजरात जवाब देव
में पेश करें। आदेश नियम 11 की दरख्वास्त
कसल मानी जावे। पगावली मिसल नं० 39/08
उनवानी सुगन वनाम सावल्या में हमफील
की जावे। दिनांक 19.02.09 को जवाब पेश करे।

19.02.09 वसुदेव फरीकेन उपाध्येत वकील प्रति-
वादी में जवाब दावा पेश किया। वकील वादी
द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र 08 R। वर वहस
सुनी गई। दरख्वास्त वादी श्वारिज को
जाकर जवाब दावा रिमांड प्रलिया जाता है।